

प्रेषक

रंजिता,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
शिवहर/नालंदा/पूर्णियाँ/सुपौल/समस्तीपुर/बेगूसराय/भोजपुर(आरा)/दरभंगा।
पटना, दिनांक-

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-2230011140102) एवं मुख्य-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0103-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-2230017890103) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.-11287 एवं 11288 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं योजना मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध आवंटन CFMS Software से किया जा रहा है। CFMS Software में Text Entry की व्यवस्था नहीं रहने के कारण राज्य योजना अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुर्नवापसी पर व्यय (विपत्र कोड-26-2230011140102) एवं (विपत्र कोड-26-2230017890103) के अन्तर्गत CFMS Software से निर्गत किये गये CFMS Order No.-11287 एवं 11288 में राशि किस मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित हेतु आवंटित की गयी है का उल्लेख संभव नहीं है।

1. CFMS Order No.- 11287 से आवंटित की गयी राशि को निम्नलिखित मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित हेतु निकासी करते हुये निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित को भुगतान के लिए अनुदान की राशि ₹ 1,00,000/-के भुगतान हेतु -

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	CFMS Order No.- 11287 से आवंटित राशि	CFMS Order No.- 11287 से राशि निम्नलिखित मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित के भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।
1	2	3	4	5	6
1.	बेगूसराय	02	0102.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	200000/- (दो लाख)	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के ज्ञापाक-1222 एवं 1261 क्रमशः दिनांक-23.12.19 एवं 28.12.19 के आलोक में मृतक-स्व0 विनोद चौधरी, आश्रित मुन्नी देवी, (पत्नी), ग्रा0+पो0-डुमरी,थाना-सिंघौल, प्रखंड+जिला-बेगूसराय(2) मृतक-भीम साह,आश्रित -राजकुमारी देवी (पत्नी), ग्रा0-गोविन्दपुर, पो0-केशावे, थाना+ प्रखंड- बरौनी, जिला-बेगूसराय।

2	पूर्णियाँ	05	तदैव	500000 / - (पाँच लाख)	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के ज्ञापांक-811 दि. -20.12.19 के आलोक में (1) मृतक-स्व0 शंभु मुनि, आश्रित-बेचनी देवी (पत्नी), ग्रा0-पथकेली मुनि टोला थाना+ प्रखंड-भवानीपर, जिला-पूर्णियाँ। (2) मृतक-स्व0 बुद्धन लाल विश्वास, आश्रित-मसो0 यशोदा देवी (पत्नी), ग्रा0-छपरैली, पो0-बंगरा मोहदीपुर थाना+ प्रखंड-अमौर, जिला-पूर्णियाँ। (3) मृतक-स्व0 डोमन महतो, आश्रित-शांति देवी (पत्नी), ग्रा0-लादुगढ़, थाना-जानकीनगर, प्रखंड-बनम नखी, जिला-पूर्णियाँ (4) मृतक- अनिल कुमार चौधरी, आश्रित-शीला देवी(माता), ग्रा0-बहोरा घाट, थाना-सरसी, प्रखंड- बनमनखी, जिला-पूर्णियाँ। (5) मृतक-प्रभाष ठाकुर, आश्रित-फूलो देवी (पत्नी) ग्रा0-हनुमाननगर, उत्तर टोला, प्रखंड-बनमनखी, जिला-पूर्णियाँ।
3.	समस्तीपुर	05	तदैव	500000 / - (पाँच लाख)	(1) जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-1205 दिनांक-31.12.19 के आलोक में मृतक-स्व0 जगननाथ यादव, आश्रित रेशमा देवी, (पत्नी), ग्रा0+ पो0-महुली, थाना+प्रखंड-रोसडा, जिला-समस्तीपुर। (2) जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-1204 दिनांक-31.12.19 के आलोक में मृतक-स्व0 मनीष कुमार, आश्रित पूजा देवी (पत्नी) ग्रा0+पो0-मुरादपुर, थाना+प्रखंड-रोसडा, जिला-समस्तीपुर। (3) जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-01, दिनांक-04.01.2020 के आलोक में मृतक-स्व0 लक्ष्मण महतो, आश्रित-चकमक देवी, (पत्नी), ग्रा0-पिठाडोभी, पो0-सोनुपुर, थाना+ प्रखंड-रोसडा, जिला-समस्तीपुर। (4) जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-02 दिनांक-04.01.2020 के आलोक में मृतक-स्व0 विजय राय, आश्रित-कृष्णा देवी (पत्नी), ग्रा0-रामपुरा, पो0-निरपुर भडरिया, थाना+प्रखंड-सिधिया, जिला-समस्तीपुर। (5) जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-04 दिनांक-04.01.2020 के आलोक में मृतक-स्व0 शिव कुमार राय, आश्रित-कंचन कुमारी (पत्नी), ग्रा0-बेलसन्डी तारा, पो0+थाना+ प्रखंड- विभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर।
4.	शिवहर	02	तदैव	200000 / - (दो लाख)	श्रम अधीक्षक, शिवहर के पत्रांक-20, दिनांक-16. 01.2020 के आलोक में (1) मृतक-स्व0 राम करण महतो, आश्रित-सुन्दरवती देवी(पत्नी), ग्रा0-धनकौल, पो0-धनकौल, प्रखंड-पिपराही, जिला- शिवहर। एवं श्रम अधीक्षक, शिवहर के पत्रांक-391 दिनांक-15.11.19 के आलोक में मृतक-स्व0 सुनील राय, आश्रित रामदेनी राय, (पिता), ग्रा0+ पो0-बसंतजगजीवन, प्रखंड-पुरनहिया, जिला- शिवहर।
5.	नालंदा	02	तदैव	200000 / - (दो लाख)	श्रम अधीक्षक, नालंदा के पत्रांक-09, दिनांक-07. 01.2020 एवं पत्रांक-19, दिनांक-10.01.2020 के आलोक में (1) मृतक-स्व0 नदीम अशरफ, आश्रित रफत जहाँ एवं अरशद, अशरफ (माता एवं पिता), ग्रा0-कागजी मुहल्ला, वार्ड नं0-17, बिहारशरीफ, जिला-नालंदा (2) मृतक-स्व0 अनिल प्रसाद, आश्रित मंजू देवी(पत्नी), ग्रा0+पो0-मालती, थाना+ प्रखंड- आस्थावा, जिला-नालंदा।

6.	सुपौल	02	तदैव	200000/- (दो लाख)	श्रम अधीक्षक, सुपौल के ज्ञापांक-13, दिनांक-09.01.2020 एवं पत्रांक-14, दिनांक-09.01.2020 के आलोक में (1) मृतक-स्व0 विनोद प्रसाद साह, आश्रित मसो0 जिबछी देवी (पत्नी), ग्रा0-सोनापुर, पो0-डगमारा, वार्ड नं0-13, थाना-कुनौली, प्रखंड-निर्मली, जिला-सुपौल (2) मृतक-स्व0 फुलेश्वर मंडल, आश्रित मसो0 शांति देवी(पत्नी), ग्रा0+पो0-तुल्लापट्टी,वार्ड नं0-10,थाना+ प्रखंड-पिपरा, जिला-सुपौल।
	कुल	18		18,00,000/-	

कुल प्रस्तावित राशि ₹ 18,00,000/- (₹ अठारह लाख) मात्र ।

CFMS Order No.- 11287 से कुल आवंटित राशि ₹ 18,00,000/- (₹ अठारह लाख) मात्र ।

2. CFMS Order No.- 11288 से आवंटित की गयी राशि को निम्नलिखित मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित हेतु निकासी करते हुये निम्न बातों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय-

क्र. सं.	जिला का नाम	मृतक मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष	CFMS Order No.- 11288 से आवंटित राशि	CFMS Order No.- 11288 राशि निम्नलिखित मृत प्रवासी मजदूर के वैध आश्रित के भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।
1	2	3	4	5	6
1.	पूर्णियाँ	02	0103.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	200000/- (दो लाख)	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के ज्ञापांक-811,दिनांक-20.12.19 के आलोक में (1) मृतक-स्व0 मथुली शर्मा उर्फ मथुरी शर्मा आश्रित कुंती देवी (पत्नी) ग्रा0-एतवारी टोला, थानाप्रखंड-रूपौली, जिला-पूर्णियाँ (2) मृतक-स्व0 शुभंकर पासवान, आश्रित डेजी देवी (पत्नी), ग्रा0- महाराजगंज, पो0- चकमका, थाना-जानकीनगर बनमनखी, जिला- पूर्णियाँ।
2..	समस्तीपुर	03	तदैव	300000/- (तीन लाख)	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-08 दिनांक-04.01.2020 के आलोक में मृतक-स्व0 दामोदर सदा, आश्रित संजु देवी, (पत्नी), ग्रा0-पनसल्ला, पो0-बलहा, प्रखंडथाना-सिंधिया, जिला-समस्तीपुर। (2) जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-03 दिनांक-04.01.2020 के आलोक में मृतक-स्व0 होरिल सदा, आश्रित मीना देवी, (पत्नी), ग्रा0-पनसल्ला, पो0-बलहा, प्रखंड थाना-सिंधिया, जिला-समस्तीपुर। (3) जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के ज्ञापांक-07 दिनांक-04.01.2020 के आलोक में मृतक-स्व0 संजीत सदा, आश्रित शोभा कुमारी, (पत्नी), ग्रा0-पनसल्ला, पो0-बलहा, प्रखंडथाना-सिंधिया, जिला- समस्तीपुर।
3.	सुपौल	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, सुपौल के ज्ञापांक-15 दिनांक-09.01.2020 के आलोक में मृतक-स्व0 तारानन्द चौपाल, आश्रित मसो0 लीला देवी, (पत्नी), ग्रा0-रामपुर, वार्ड नं0- 05, पो0- संस्कृत निर्मली, थाना-बलुआ बाजार, प्रखंड- बसंतपुर, जिला-सुपौल।
4.	शिवहर	02	तदैव	200000/- (दो लाख)	LS, शिवहर के पत्रांक-391 दि.-15.11.19 के आलोक में (1) मृतक-स्व0 रामू पासवान, आश्रित रमिया देवी (माता) ग्रा0-कटैया, पो0-दोस्तियाँ,प्रखंड-पुरनहिया, जिला- शिवहर (2) मृतक-स्व0 बावन सहनी, आश्रित सुनैना देवी (पत्नी),ग्रा0+पो0-नरवारा,प्रखंड--तरियानी,जिला - शिवहर।

5.	दरभंगा	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक- 963 दिनांक-26.09.19 के आलोक में मृतक-स्व0 राम लोमित मांझी, आश्रित मीरा देवी(पत्नी) ग्रा0+ पो0-इनाई ,थाना+प्र0-बहेड़ी,जिला-दरभंगा।
6.	भोजपुर (आरा)	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	जिला पदाधिकारी, भोजपुर(आरा) के पत्रांक- 844 दिनांक-19.12.19 के आलोक में मृतक-स्व0 जन राम, आश्रित बिन्दा देवी (पत्नी) ग्रा0+पो0-मसुढ़ी, थाना+प्रखंड-जगदीशपुर, जिला- भोजपुर (आरा)।
7.	नालंदा	01	तदैव	100000/- (एक लाख)	श्रम अधीक्षक, नालंदा के पत्रांक-13, दिनांक-08.01.2020 के आलोक में मृतक-स्व0 काजल देवी, आश्रित उमेश रविदास (पति), ग्रा0पो0-ताजनीपुर, थाना प्रखंड- बिन्द, जिला-नालंदा।
	कुल	11		11,00,000/-	

CFMS Order No.- 11288 से आवंटित राशि ₹ 11,00,000/- (₹ ग्यारह लाख) मात्र ।

- यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1907 दिनांक-03.05.19 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि **₹ 1,00,000/- (₹ एक लाख) मात्र** प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक को की दर से उनके आश्रित को भुगतान हेतु आवंटित की गयी है।
- अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत इसकी जाँच पड़ताल करके भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को फैक्स/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।
- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि0 दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अविलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
- विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.7.16 के आलोक में लाभूकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
- आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्ही मृत प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को उपलब्ध कराया जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

ह0/-

(रंजिता)

श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक: 6/एफ1-307/19 श्र0सं0-

952

पटना, दिनांक 19.3.2020

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार प्रदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक /आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/संयुक्त श्रमायुक्त-1 एवं प्रशाखा-01 को गै०स०प्रे०सं०-12 (श्रम पक्ष) दिनांक-10.01.20, गै०स०प्रे०सं०-11 (श्रम पक्ष) दिनांक-10.01.20, गै०स०प्रे०सं०-10 (श्रम पक्ष) दिनांक-10.01.20, गै०स०प्रे०सं०-16 (श्रम पक्ष) दिनांक-14.01.20, गै०स०प्रे०सं०-26 (श्रम पक्ष) दिनांक-22.01.20 एवं गै०स०प्रे०सं०-39 (श्रम पक्ष) दिनांक-06.02.20 के आलोक में/ प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

18-03-2020

(रंजिता)

श्रमायुक्त, बिहार ।